[रिपोर्ट योग्य]

भारत के उच्चतम न्यायालय में

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार

2010 की सिविल अपील संख्या 6801

मूर्ति श्री दुर्गा भवानी (हेतुवाली) ट्रस्ट और अन्य... अपीलकर्ता

बनाम

एलआरज़ और अन्य के माध्यम से

श्री दीवान चंद (मृत) **... उत्तरदाता**

के साथ

2010 की सिविल अपील संख्या 6802

2010 की सिविल अपील संख्या 6803

2010 की सिविल अपील संख्या 6804

निर्णय

राजेश बिंदल, जे.

1. वादी इस न्यायालय के समक्ष 1997 की नियमित द्वितीय अपील संख्या 2306 और 2307 में उच्च न्यायालय द्वारा

पारित आदेशों को चुनौती दे रहे हैं, जिसने निचली अपीलीय अदालत के निर्णयों और डिक्रियों को बरकरार रखा, 1989 की वाद संख्या 273 और 274 में ट्रायल कोर्ट के फैसले को उलटते हुए।अपीलार्थियों द्वारा दायर अपीलों को खारिज कर दिया गया। उपर्युक्त अपीलों के विरुद्ध 2010 के पुनरीक्षण / समीक्षा आवेदन संख्याओं आरए-आरएस-25 सी और 26-सी में दिनांक 5.4.2010 को पारित आदेशको भी चुनौती दी जा रही है।

2. इस मामले का उतार-चढ़ाव वाला इतिहास रहा है। हालांकि, सिविल अपील संख्या 6801/2010 से वर्तमान अपील के तथ्य देखे जा रहे हैं। हालांकि, जहां भी आवश्यक हो, उक्त संपत्ति से संबंधित पिछले मुकदमेबाजी को संदर्भित किया जाएगा।

3. अपीलकर्ता एक पंजीकृत चैरिटेबल ट्रस्ट है, जो खसरा नं. 4833 का हिस्सा बनाने वाली भूमि का मालिक है। अपीलार्थी द्वारा कब्जे के लिए 26.5.1982 को एक वाद दायर किया गया था।यह आरोप लगाया गया था कि भूमि पर प्रतिवादियों/प्रतिवादियों द्वारा अतिक्रमण किया गया था.वाद को प्रतिवादियों/प्रत्यर्थियों द्वारा आपत्ति जताते हुए चुनौती दी गई थी कि अपीलकर्ता/वादी विवादित संपत्ति के मालिक नहीं हैं; उनके पास मुकदमा दायर करने का कोई अधिकार नहीं है; प्रतिवादी 34 से अधिक वर्षों से संपत्ति के कब्जे में हैं और अपना व्यवसाय चला रहे हैं; और वाद संपत्ति खसरा संख्या 4833 का हिस्सा नहीं है।यह भी अभिवचन किया गया कि वे प्रतिकूल कब्जे के माध्यम से वाद संपत्ति के मालिक बन गए थे.

4. वाद की डिक्री निचली अदालत द्वारा दिनांक 28.2.1991 के निर्णय द्वारा की गई थी। प्रत्यर्थियों/प्रतिवादियों को वाद संपत्ति से बाहर निकालने का आदेश दिया गया था. प्रत्यर्थी/प्रतिवादी द्वारा दायर अपील को विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने स्वीकार कर लिया।ट्रायल कोर्ट के फैसले और डिक्री को मुख्य रूप से इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि वे संपत्ति पर अपना हक साबित करने में विफल रहे थे।

5. निचले अपीलीय न्यायालय के निर्णय और डिक्री को उच्च न्यायालय द्वारा अपील में दिनांक 13.10.2009 के आदेश द्वारा बरकरार रखा गया था और पुनरीक्षण / समीक्षा आवेदन भी 5.4.2010 को खारिज कर दिया गया था।

6. श्री नीरज जैन, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने अपीलकर्ताओं की ओर से पेश होकर कहा कि ट्रायल कोर्ट ने सबूतों की सराहना करते हुए, वाद को सही रूप से डिक्री किया था। हालांकि, सबूतों की गलत व्याख्या पर, प्रथम अपीलीय अदालत ने उन निष्कर्षों को उलट दिया था।निचली अपीलीय अदालत के फैसले को कायम रखने में उच्च न्यायालय ने भी गलती की।उन्होंने आगे कहा कि ट्रायल कोर्ट के समक्ष बहस के दौरान, प्रत्यर्थियों/प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया था कि विवादित स्थल खसरा संख्या 4833 का हिस्सा है। वास्तव में, प्रतिकूल कब्जे का तर्क केवल तभी उठाया जा सकता है जब संपत्ति का स्वामित्व विवाद में न हो।उच्च न्यायालय ने एक

स्पष्ट निष्कर्ष भी दर्ज किया कि खसरा नंबर 4833 अपीलकर्ताओं का है। हालांकि, अपीलकर्ताओं को केवल इस आधार पर राहत से इनकार किया गया था कि संपत्ति की पहचान विवाद में थी।उच्च न्यायालय की राय थी कि यह खसरा संख्या 4833 का हिस्सा नहीं है।उच्च न्यायालय के निष्कर्ष कि खसरा नं. 4833 अपीलकर्ता /वादियों के स्वामित्व में है, को प्रत्यर्थियों द्वारा चुनौती नहीं दी गई है.

7. उन्होंने आगे कहा कि रबी 1990 से खसरा गिरदावरी के सुधार के लिए प्रतिवादियों द्वारा 2.8.1993 को तहसीलदार-सह-सहायक कलेक्टर, द्वितीय ग्रेड, करनाल के समक्ष एक आवेदन दायर किया गया था। इसमें उत्तरदाताओं द्वारा एक स्पष्ट स्वीकारोक्ति की गई थी कि उत्तरदाताओं के कब्जे वाला क्षेत्र खसरा संख्या 4833 का हिस्सा था और उनके कब्जे में है, जो वर्ष 1994-95 की जमाबंदी से स्पष्ट है।स्थानीय आयुक्त की रिपोर्ट, जो एक अलग मुकदमे अर्थात् 1981 की सिविल वाद संख्या 371 में प्रस्तुत की गई थी, जिसका भरोसा निचले अपीलीय न्यायालय (एक्स डी-16) द्वारा किया गया था, किसी भी पक्के बिंदुओं का पता लगाए बिना थी।उन्होंने आगे पेपर बुक के पृष्ठ 97 पर दस्तावेज़ का उल्लेख किया, जिसमें उत्तरदाताओं ने विवाद में संपत्ति के लिए नगर समिति को विशेष रूप से उल्लेख करते हुए निर्माण योजना प्रस्तुत की कि यह खसरा संख्या 4833 का हिस्सा है। रिकॉर्ड पर पूर्वोक्त सामग्री के साथ, निचली अपीलीय अदालत के साथ-साथ उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष कि संपत्ति की पहचान विवाद में थी, पूरी तरह

से विकृत है, क्योंकि यह स्वयं प्रत्यर्थियों द्वारा स्वीकार किया गया था कि उनके कब्जे में संपत्ति खसरा नं. 4833

8. यह भी तर्क दिया गया कि इससे पहले, प्रत्यर्थियों, अर्थात् सुंदर दास और गोपाल सिंह ने भागवत सरूप, आनंद सरूप और पंडित हर सरूप को वाद संपत्ति से बेदखल करने से रोकने के लिए स्थायी व्यादेश के लिए 29.05.1975 को 1981 का सिविल सूट नं. 371 दायर किया था और प्रतिकूल कब्जे का तर्क भी उठाया गया था। जहां तक प्रतिकूल कब्जे की दलील का संबंध है, निष्कर्ष वर्तमान प्रतिवादियों/वादियों के खिलाफ थे, जबकि स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री उत्तरदाताओं के लंबे कब्जे के कारण पारित की गई थी, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि उन्हें कानून के उचित अनुक्रम के अलावा बेदखल नहीं किया जा सकता है।यह उसी वाद संपत्ति के संदर्भ में था।वाद आंशिक रूप से 30.09.1981 को डिक्री किया गया था।

9. दूसरी ओर, उत्तरदाताओं की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता अधिवक्ता संजय पारिख ने कहा कि अपीलकर्ताओं के लिए इस न्यायालय के समक्ष सभी तथ्यात्मक मुद्दों को उठाने के लिए बहुत देर हो चुकी है। नीचे के दोनों न्यायालयों द्वारा प्रतिवादियों के पक्ष में रिकॉर्ड किए गए तथ्यों का समवर्ती निष्कर्ष है और उस निष्कर्ष को खारिज करने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है।प्रतिवादियों को अनावश्यक रूप से मुकदमेबाजी में घसीटा जा रहा है।स्थानीय आयुक्त की दिनांक 2.12.1978 की रिपोर्ट, जो पहले से ही अभिलेख पर है, स्पष्ट रूप से इंगित

करती है कि उत्तरदाताओं के कब्जे में परिसर खसरा संख्या 4833 का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह उससे 434 फीट आगे है। इस न्यायालय के समक्ष नए मुद्दों को उठाने की कोशिश की जा रही है, जिसकी अनुमति नहीं दी जा सकती।प्रतिवादी पिछले 34 वर्षों से अधिक समय से संपत्ति के कब्जे में हैं।वास्तव में, उच्च न्यायालय के समक्ष अपील में भी, कानून का कोई ठोस प्रश्न नहीं बनाया गया था और ऐसा कोई कानूनी मुद्दा नहीं है, जिसे इस न्यायालय द्वारा निर्धारित करने की आवश्यकता हो।

10. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है और अभिलेख पर संबंधित सामग्री का अवलोकन किया है।

11. रिकॉर्ड पर दिए गए निर्णयों से यह स्पष्ट है कि हरसरूप बनाम नगरपालिका समिति मामले में उप न्यायाधीश, करनाल (1962 का वाद संख्या 292) द्वारा अपीलकर्ताओं के हित में पूर्ववर्तियों/ पूर्वाधिकारियों के पक्ष में 30.7.1965 को एक निर्णय और डिक्री पारित की गई थी।

12. अपीलार्थी ने वर्ष 1974 में 2 विवादित सम्पत्तियों के लिए नगर पालिका समिति के विरूद्ध उपरोक्त आदेश के निष्पादन हेतु याचिका दायर की। उत्तरदाताओं के हित में पूर्ववर्ती / हित-पूर्वाधिकारी को भी निष्पादन याचिका में उत्तरदाताओं के रूप में शामिल किया गया था क्योंकि वे डिक्री के निष्पादन में बाधा डाल रहे थे और उस पर निर्माण करने की कोशिश कर रहे थे।

13. उपरोक्त निष्पादन कार्यवाही में एक स्थानीय आयुक्त नियुक्त किया गया, जिसने साइट का दौरा करने के बाद 19.1.1975 को अपनी रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की। रिपोर्ट में, उन्होंने कहा कि उत्तरदाताओं द्वारा निर्मित विचाराधीन दुकानें खसरा संख्या 4833 पर बनी हैं।उपर्युक्त निष्पादन कार्यवाहियों की स्थिति के बारे में रिकॉर्ड से कुछ भी नहीं बताया गया था.

14. जैसा कि निचली अपीलीय अदालत ने दिनांक 16.1.1997 के फैसले में देखा है कि पूर्वोक्त निष्पादन याचिका में कार्यवाही के दौरान, प्रतिवादियों को उनके हित-पूर्वाधिकारी द्वारा दिए गए एक वचन पर निर्माण करने की अनुमति दी गई थी कि यदि वे मामले में हार जाते हैं, वे किसी मुआवजे का दावा नहीं करेंगे।

15. पूर्वोक्त निष्पादन याचिका के लंबित रहने के दौरान, प्रतिवादियों के हित-पूर्वाधिकारी ने अपीलकर्ता ट्रस्ट के ट्रस्टी भगवत सरूप के खिलाफ मुकदमा संख्या 371/1981 दायर किया। कथित वाद में, दो मुख्य मुद्दे तैयार किए गए थे, अर्थात्, क्या उनमें वादी प्रतिकूल कब्जे के माध्यम से संपत्ति के मालिक बन गए थे और दूसरा यह था कि क्या वादी 1962 के वाद संख्या 292, हरसरूप बनाम नगरपालिका समिति, करनाल में डिक्री से आबद्ध हैं।केवल यह तथ्य कि प्रतिवादीगण के पूर्ववर्ती ने प्रतिकूल कब्जे के आधार पर संपत्ति के स्वामित्व का दावा करते हुए वाद दायर किया था, पूर्व अनुमान लगाता है कि वाद संपत्ति पर अपीलार्थियों

का स्वामित्व स्वीकार कर लिया गया था।किसी भी मामले में, प्रतिकूल कब्जे के माध्यम से विवाद में संपत्ति का मालिक बनने वाले प्रतिवादीगण के पूर्ववर्ती-हित के मुद्दे पर वादी के खिलाफ फैसला किया गया था।यह विशेष रूप से अभिनिर्धारित किया गया था कि पूर्वोक्त वाद में वादी अपने प्रतिकूल कब्जे को साबित करने में विफल रहे थे।अंत में, वादी आंशिक रूप से सफल हुए क्योंकि उनके पक्ष में स्थायी व्यादेश की केवल एक डिक्री पारित की गई थी जिसमें प्रतिवादियों को उनके कब्जे में हस्तक्षेप करने से रोका गया था, सिवाय 30.09.1981 को कानून के उचित अनुक्रम के।उपरोक्त मुकदमे में सदर कानूनगो को स्थानीय आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था।उसने अपनी रिपोर्ट 02.12.1978 को दी थी जिसमें कहा गया था कि प्रतिवादीगण के कब्जे वाली संपत्ति नाला से 434 फीट दूर थी। रिपोर्ट में खसरा संख्या 4833 का भी उल्लेख नहीं किया गया है।कोई पक्के बिंदुओं का उल्लेख नहीं किया था।यह यथासंभव अस्पष्ट था।डिक्री को अंतिम रूप दिया गया।

<u>वर्तमान मुकदमा</u>

16. ट्रस्ट ने कब्जे के लिए 1989 का सिविल सूट सं. 273 दिनांक 26.05.1982 को फाइल किया। प्रतिवादीगण का मुख्य भरोसा स्थानीय आयुक्त की रिपोर्ट पर था, जो प्रतिवादीगण द्वारा पहले दायर वाद संख्या 371/1981 में प्रस्तुत की गई थी।स्थानीय आयुक्त की दिनांक 2.12.1978 की रिपोर्ट के अवलोकन से पता चलता है कि माप करने से पहले पक्के बिंदुओं का पता नहीं लगाया गया था। उपरोक्त रिपोर्ट में, जहां कानूनगो स्थानीय आयुक्त थे, निष्कर्ष दिया

गया था कि विवादित संपत्ति नाला से 434 फीट दूर स्थित थी। रिपोर्ट के साथ साइट प्लान भी संलग्न किया गया था जिसमें सड़क और नाला दिखाने के अलावा संपत्ति की सही पहचान करने के लिए कोई खसरा नंबर नहीं दिया गया था।यह तथ्य कि पहले से ही उसी संपत्ति के संबंध में स्थानीय आयुक्त की एक रिपोर्ट दिनांक 19.1.1975 थी, इसका उल्लेख भी नहीं किया गया था। यह स्थानीय आयुक्त द्वारा अपीलकर्ता के पूर्ववर्ती-हित द्वारा दायर निष्पादन कार्यवाहियों में नियुक्त की गई एक रिपोर्ट थी, जिसमें पूर्ववर्ती भी प्रतिवादीगण के हित में पक्षकार थे। यह रिपोर्ट विश्वास को प्रेरित करती है क्योंकि संपत्ति के पक्के बिंदुओं का सीमांकन करने से पहले चिह्नित किया गया था और विशिष्ट खसरा नं. 4833 को मापा गया था।उपरोक्त रिपोर्ट के साथ उचित योजना भी संलग्न है।

17. वर्तमान वाद में प्रतिवादियों द्वारा यह दृष्टिकोण अपनाया गया था कि वे पिछले 34 वर्षों से कब्जे में हैं। वाद संपत्ति खसरा नं.4833 का हिस्सा नहीं है और आगे यह कि वे प्रतिकूल कब्जे के माध्यम से संपत्ति के मालिक बन गए थे।वाद पर अंततः अपीलार्थियों के पक्ष में फैसला सुनाया गया।फैसले के पैरा 13 में, निचली अदालत ने प्रतिवादियों के लिए उपस्थित विद्वत वकील द्वारा दिए गए बयान को दर्ज किया कि वाद संपत्ति खसरा नं. 4833 का हिस्सा है।इसका विवरण इस प्रकार हैः -

"13. बहस के दौरान, श्री टी. पी. एस. बेदी, एडवोकेट ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि विवादित स्थल खसरा संख्या 4833 का हिस्सा है।इसमें कोई संदेह नहीं है, उन्होंने एक समय तर्क दिया था कि संपत्ति की पहचान स्थापित नहीं की गई है, लेकिन चूंकि उन्होंने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि विवादित स्थल खसरा नं.4833 का हिस्सा है, इसलिए इस साक्ष्य पर गौर करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि यह खसरा नं.4833 के भीतर नहीं है।"

18. जहां तक प्रतिवादियों द्वारा यह अभिवाक किया गया था कि वे प्रतिकूल कब्जे के माध्यम से संपत्ति के स्वामी बन गए हैं, निष्कर्ष यह था कि पहले की मुकदमेबाजी में प्रतिवादी पहले से ही अकेले उस आधार पर हार गए थे (संदर्भ वाद संख्या 371/1981) । उपरोक्त दो तथ्यों ने संपत्ति की पहचान को स्पष्ट रूप से स्थापित किया।

19. एक अन्य तथ्य जो स्पष्ट रूप से स्थापित करता है कि यह प्रतिवादीगण का स्वीकृत मामला था कि विवाद में संपत्ति खसरा नं. 4833 का हिस्सा है, यह तहसीलदार-सह-सहायक कलेक्टर के समक्ष 2.8.1993 को प्रतिवादीगण के हित में-पूर्ववर्ती द्वारा दायर एक आवेदन से स्पष्ट है, जिसमें यह दावा किया गया था कि आवेदक 1950 से दुकानों के मालिक थे और यह खसरा नं. 4833 का हिस्सा था। सहायक कलेक्टर, द्वितीय श्रेणी, करनाल ने, दिनांक 17.2.1994 के आदेश द्वारा, खसरा गिरदावरी के सुधार के लिए यह अभिनिर्धारित करने का निर्देश दिया कि उसमें

आवेदक/प्रतिवादीगण के पूर्ववर्ती-इन-हित के पास खसरा नं. 4833 का हिस्सा था।

20. विचारण न्यायालय के दिनांक 28.2.1991 के निर्णय और डिक्री के विरुद्ध व्यथित, प्रतिवादीगण के पूर्ववर्ती ने अपील फाइल की। इसे विद्वान एडीजे द्वारा दिनांक 16.1.1997 के निर्णय और डिक्री द्वारा अनुमति दी गई थी। निर्णय के पैरा 14 में, 1962 के वाद संख्या 292 का उल्लेख करते हुए, प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा व्यक्त की गई राय थी कि अपीलार्थी खसरा संख्या 4833 के सह-मालिक थे। हालांकि, स्थानीय आयुक्त की दिनांक 2.12.1978 की रिपोर्ट पर भरोसा करते हुए, यह राय व्यक्त की गई कि वाद संपत्ति अलग होने और वर्तमान अपीलकर्ता के मालिक न होने के कारण, वे किसी भी राहत के हकदार नहीं हैं।

21. अपीलकर्तागण ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष आरएसए संख्या 2306/1997 दाखिल करके निचली अपीलीय अदालत के फैसले और डिक्री को चुनौती दी। यहां तक कि अपील को खारिज करने वाले उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में भी, यह विशेष रूप से दर्ज किया गया है कि निर्विवाद रूप से, अपीलकर्ता खसरा नं. 4833 के मालिक हैं।स्थानीय आयुक्त की दिनांक 2.12.1978 की रिपोर्ट का अभी भी उल्लेख करते हुए, अपीलार्थी किसी भी राहत के हकदार नहीं माने गए थे।यहां तक कि उपरोक्त फैसले के खिलाफ दायर समीक्षा याचिका भी खारिज कर दी गई थी।

22. यह उन तथ्यों से स्पष्ट है, जो वर्तमान मुकदमे में रिकॉर्ड पर आए हैं, कि अपीलार्थियों को खसरा नं. 4833 संपत्ति का मालिक होने के लिए स्वीकार किया गया है। यह निष्कर्ष दूसरी अपील को

खारिज करने वाले उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश में भी दर्ज किया गया है।उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज उपरोक्त निष्कर्ष को प्रतिवादीगण द्वारा कोई चुनौती नहीं दी गई है।वास्तव में, वे नहीं कर सके क्योंकि निचली अदालत के समक्ष भी इस आशय की प्रतिवादीगण थी।

23. एकमात्र मुद्दा जिस पर अपीलार्थी को गैर-सूट किया गया, वह यह है कि प्रतिवादीगण खसरा नं. 4833 के किसी भी हिस्से के कब्जे में नहीं हैं क्योंकि उनके कब्जे में संपत्ति अलग है। तथापि, उस मुद्दे पर भी, निचले अपीलीय न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष विकृत हैं यदि उन दो तात्विक दस्तावेजों के आलोक में उन पर विचार किया जाए जो उनके कब्जे में संपत्ति की पहचान के संबंध में स्वयं प्रतिवादीगण की स्वीकृति के रूप में हैं। पहला, निचली अदालत के समक्ष प्रतिवादीगण के अधिवक्ता के बयान है जैसा कि ऊपर पैरा नं. 17 में देखा गया है और दूसरा, खसरा गिरदावरी के सुधार के लिए तहसीलदार-सह-सहायक कलेक्टर के समक्ष प्रतिवादीगण द्वारा दायर किया गया आवेदन है, जिसमें विशेष रूप से स्वीकार किया गया है कि उनके पास खसरा नं.4833 का हिस्सा है।इसके अलावा, नायब तहसीलदार द्वारा स्थानीय आयुक्त दिनांक 19.1.1975 की एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। यह उप न्यायाधीश, करनाल द्वारा हरसरूप बनाम नगरपालिका समिति में उसके पक्ष में पारित डिक्री के अपीलार्थियों के पूर्ववर्ती द्वारा दायर निष्पादन याचिका में था। इससे भी आगे, प्रतिकूल कब्जे के बारे में प्रतिवादीगण की दलील अपीलकर्तागण की विशिष्ट संपत्ति का स्वामित्व पहले से ही मान लेती है, जो प्रतिवादीगण के कब्जे में होने का दावा किया जाता है।

24. उपरोक्त कारणों से, उच्च न्यायालय द्वारा अपीलकर्तागण द्वारा दायर पुनर्विचार आवेदनों और अपीलों को खारिज करने और निचले अपीलीय न्यायालय के निर्णयों और डिक्रियों को कानूनी रूप से कायम नहीं रखा जा सकता है और उन्हें रद्द कर दिया जाता है और अपीलों की अनुमति दी जाती है। निचली अदालत द्वारा 1989 के वाद संख्या 273 और 274 में पारित निर्णयों और डिक्रियों को बहाल किया जाता है।

25. डिक्री शीट तैयार किया जाए।

_ _ _ _ _ _ _, जज.

(अभय एस ओका)

_ _ _ _ _ _ _जज.

(राजेश बिंदल)

नई दिल्ली।

11. 04. 2023.

अस्वीकरणः– स्थानीय भाषा में अनुवादित निणर्य वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्येश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्येश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्चयन के उद्धेश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।